न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं.: 47/आवेदन/136 एलआरए

1. रामू उर्फ रामलाल } पुत्रगण धन्नाराम माता अमरी देवी
2. हीरालाल
3. सुवटी उर्फ सुवा } पुत्रियां धन्नाराम माता अमरीदेवी
4. सोनी देवी
5. *समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर*

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–अप्रार्थी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 रा.टे.ऐक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल, वकील प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 05.05.2015

1. आवेदन/दावा के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी गत ख.नं. 387 रकबा 60 बीघा 1 बिस्वा है जिसके वर्तमान खसरा नं. 1163, 1199, 1200, 1202 किता 4 कुल रकबा 15.71 है0 वाके ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकरम अवस्थित है। उक्त संपदा में से प्रार्थीगण की माता श्रीमती अमरीदेवी व अन्य केताओं ने बराबर बराबर हि. 23.9.1987 को खातेदार बालचंद पुत्र आनीलाल से उसका हिस्सा 1/4 यानि संपूर्ण रकबा में से 15 बीघा 10 बिस्वा व अन्य खातेदार रामस्वरूप, भागचंद पिता किस्तूरमल, विश्वेश्वर पुत्र किशनलाल से उनका हिस्सा 1/4 यानि संपूर्ण रकबे में से 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि कय की थी। उक्त विकय पत्रों का ना.करण दिनांक 09.01.1988 को भरा गया था। उक्त ना.करण में प्रार्थीगण की माता अमरीदेवी पत्नी धन्नाराम के नाम से भरा गया था, जो कि सही था। उक्त ना0करण का अंकन भी जमाबंदी में सही हुआ था, परन्तु आधार वर्ष संवत् 2051 में जमाबंदी बनाते समय प्रार्थीगण की माता का नाम अमरी देवी पत्नी धन्नाराम की जगह अमरी देवी पत्नी कानाराम दर्ज हो गया जो कि वर्तमान में बदस्तूर जारी है। प्रार्थीगण को उक्त गलती की जानकारी प्रार्थीगण की माता का देहान्त होने पर हुई। तहसील कार्यालय से अभिलेख की नकलें प्राप्त की गई। वादग्रस्त संपदा प्रार्थीगण की माता के नाम रही है। अब प्रार्थीगण का देहान्त हो चुका है इसलिए प्रार्थीगण की ओर से वाद पेश किया जा रहा है। अंत में यह इस्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर प्रार्थीगण की माता अमरी देवी पत्नी कानाराम की जगह अमरी देवी पत्नी धन्नाराम संशोधन किया जावें कि प्रार्थीगण के नाम सही विरासत का ना.करण भरा जा सकें।
2. आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. बहस प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner

4. हमने प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। ना.करण सं. 1233 व 1234 में काललम सं. 9 में अमरी देवी पत्नी धन्नाराम अंकन किया गया है लेकिन आधार वर्ष 2051 में विवादित आराजी में अमरी देवी पत्नी कानाराम दर्ज किया गया है जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 4 ग्राम पचार में दर्ज चला आ रहा है। ग्राम पंचायत, पचार द्वारा जारी वारिस प्रमाण दिनांक 28.7.2014 में अमरीदेवी पत्नी धन्नाराम अंकित है। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत उक्त नाम वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 4 ग्राम पचार में दुरूस्ती किया जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहरीर जारी हो।
5. यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner